न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./92/2012/जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. हुसैन खां पुत्र श्री वली मोहम्मद मुसलमान निवासी मूंदरडी तहसील व जिला जैसलमेर (राज0)।	बनाम 1.हुसैन खां पुत्र श्री छते खां जाति मुसलमान निवासी छत्रैल तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर जिला जैसलमेर राज0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 03/2007 बअनवान हुसैन बनाम सरकार निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री एम.आर.बारूपाल रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 17.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने आपके मूंदरडी का मूल निवासी बताया हैं जो सरासर गलत हैं। रेस्पोडेंट संख्या 01 गांव छत्रैल का मूल निवासी हैं उसका राशनकार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, पैतृक भूमि आदि सभी जायदाद के प्रपत्रों में उसने अपने आपकों गांव छत्रैल का निवासी बताया हैं। जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि वह गांव मूंदरडी का निवासी नहीं है तथा न ही गांव मूंदरडी में निवास करता है और न हीं किसी कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 03.07.1972 की पालना में सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 को मौके पर भू—प्रबंध के खसरा संख्या 6/228 सरहद मूंदरडी में कब्जा देना कथित तौर पर बतलाकर कब्जे के कागजात तैयार किए हैं। जबकि वस्तु स्थिति के अनुसार उक्त खसरा संख्या 6/228 उक्त गांव मूंदरडी की राजस्व सरहद में भू—अभिलेख के अनुसार कही विद्यमान ही नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने से किन्तु रिकोर्ड में उसके नाम खातेदारी दर्ज न होने से हल्का पटवारी के प्रतिवेदन पर तहसीलदार जैसलमेर द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उसे बतौर अतिक्रमी दर्ज कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कई बार सूचनाएं दी जाकर कार्यवाही चली आई है। जिसके खसरा संख्या 6/1 अंकित कर उक्त कार्यवाही की जाती रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादी एक दिन का भी अपना कब्जा काश्त होने का सबूत अपने दावें में प्रस्तुत नहीं कर सका हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों व विधि के विपरीत निर्णय एवं डिक्री जारी की गई है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने लिखित बहस के साथ–साथ मौखिक बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने आपके मूंदरडी का मूल निवासी बताया हैं जो सरासर गलत हैं। रेस्पोडेंट संख्या 01 गांव छत्रैल का मूल निवासी हैं उसका राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, पैतृक भूमि आदि सभी जायदाद के प्रपत्रों में उसने अपने आपकों गांव छत्रैल का निवासी बताया हैं। जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि वह गांव मूंदरडी का निवासी नहीं है तथा न ही गांव मूंदरडी में निवास करता है और न हीं किसी कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 03.07.1972 की पालना में सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 को मौके पर भू–प्रबंध के खसरा संख्या 6/228 सरहद मूंदरडी में कब्जा देना कथित तौर पर बताकर कब्जे के कागजात तैयार किए हैं, जबकि वस्तु स्थिति के अनुसार उक्त खसरा संख्या 6/228 उक्त गांव मूंदरडी की राजस्व सरहद में भू–अभिलेख के अनुसार कही विद्यमान ही नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने से किन्तु रिकोर्ड में उसके नाम खातेदारी दर्ज न होने से हल्का पटवारी के प्रतिवेदन पर तहसीलदार जैसलमेर द्वारा उसे बतौर अतिक्रमी दर्ज कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कई बार सूचनाएं दी जाकर कार्यवाही चली आई है; जिसके खसरा संख्या 6/1 अंकित कर उक्त कार्यवाही की जाती रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादी ने एक दिन का भी अपना कब्जा काश्त होने का सबूत अपने दावें में प्रस्तुत नहीं किया हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों व विधि के विपरीत निर्णय एवं डिक्री जारी की गई है जो काबिल निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट/वादीगण केवल मात्र तहसीलदार जैसलमेर को पक्षकार बनाया जाकर छिपे तरीके से दावा प्रस्तुत किया और जानबूझकर अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया उन्होने समस्त कार्यवाही एकतरफा करवाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वर्ष 1972 में वादी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.07.1972 को ग्राम मुन्दरडी के सिवायचक खसरा संख्या 01 में 57.10 बीघा भूमि आवंटित की गई जिसका आवंटन आदेश उपजिलाधीन जैसलमेर के क्रमांक 677–680 दिनांक 04.07.1972 को जारी किया गया। पटवारी भू द्वारा सनद फीस रेस्पोडेंट से जमा कर आवंटित भूमि के समय 57.10 बीघा भूमि का कब्जा रूबरू मौतबिरान सुपुर्द किया गया। स्थाई बन्दोबस्त में रेस्पोडेंट/वादी को आवंटित कृषि भूमि खसरा संख्या 01 रकबा 57.10 बीघा को खातेदारी दर्ज नहीं करके सिवायचक दर्ज की गई। खसरा गिरदावरी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेंट ने विघोड़ी राजकोष में जमा करवाई। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट ने अपने आवासीय कच्चा मकान, पानी का टांका बनाया कर सपरिवार निवास कर रहा है। वादग्रस्त रकबा 57.10 बीघा भूमि दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने आगे बताया कि अपीलांटगण ने सहायक कलक्टर जैसलमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2011 के विरूद्ध मान्य न्यायालय में अपील करीब 11 माह बाद पेश की है जो कि म्याद बाहर है। अपीलांट ने अपील को देरी से प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही होने का अपीलांटस को अपील प्रस्तुति के दिन तक पता नहीं रहा। प्रथम बार दिनांक 09.12.2012 को पता चला कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय होने के बाद जब रेस्पोडेंटस गलत निर्णय के आधार पर अपीलांट के कब्जासुदा जमीन पर रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा कब्जा किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं, जानकारी होने पर निर्णय की नकले लेने के लिये आवेदन पेश किया जो प्राप्त होने पर अपील पेश करने की कार्यवाही की गई। अपीलांट द्वारा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के द्वारा अपील करीब 11 माह की देरी से पेश की गई है जबकि देरी के प्रत्येक दिन का वर्णन देकर उचित कारण बताना होता है। अपीलांटस ने अपील पेश करने में हुए विलंब का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र में पैरा संख्या 2 में अपीलांट को प्रथम बार दिनांक 09.12.2012 को पता चला इंगित किया गया है जबकि प्रकरण दिनांक 08.02.2012 को ही पेश कर दिया गया। जानकारी की दिनांक गलत लिखी गई है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई **देरी सदभाविक नहीं है** क्योंकि अपीलांट द्वारा प्रथम बार जानकारी की दिनांक गलत दर्शायी गई है। मनगंढत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुति में लगभग 11 माह की देरी के समुचित कारणों को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपीलांटस द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर बताया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है व वादग्रस्त भूमि में हित रखता है एवं व्यथित/आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा वाद में अपीलांट को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जावे।

अधवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया तथा इस प्रकरण में अपीलांट का कोई हक हिस्सा नहीं होने से पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जावे।

अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए धारा 96 के आवेदन के साथ अपील पेश की गई। अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध करता हो कि अपीलांट का, रेस्पोडेंट को आवंटित एवं उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हक में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा वाली वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 6/228 रकबा 57.11 बीघा पर अनवरत कब्जा काश्त है। इस दृष्टि से अपीलांट वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 6/228 रकबा 57.11 बीघा के संबंध में प्रभावी, हितबद्ध और व्यथित पक्षकार नहीं लिहाजा उसकी प्रस्तुत अपील अनुमत किये जाने का कोई आधार ही नहीं है। वह प्रस्तुत अपील में जो अनुतोष चाहता है वह केवल मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2011 को अपास्त कराना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदन 96 सी पी सी स्वीकार्य नहीं है। जिसे खारिज किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अपील मियाद बाहर एवं अपील अनुमत नहीं किये जाने से खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान चारेहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner